उत्तर प्रदेश शासन
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–2
संख्या– / सोलह–2–2023
लखनऊ: दिनांक जनवरी, 2023

नियुक्ति / विज्ञप्ति

प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर) उ0प्र0 के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक, उ0प्र0 में **व्याख्याता यांत्रिक अभियंत्रण** के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित चयन के फलस्वरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज की संस्तुति के आधार पर **श्री अजय कुमार कनौजिया पुत्र श्री मल्लू राम कनौजिया, स्थायी पता–कटियारी, बनिया, रमईपुर, प्रयागराज, उ0प्र0–221505** (लोक सेवा आयोग का क्रमांक–200) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से व्याख्याता यांत्रिक अभियंत्रण के पद पर उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (अध्यापन) सेवा नियमावली, 2021 में निहित प्राविधानान्तर्गत वर्तमान प्रविष्टि वेतन 56,100, लेवल–10 एवं प्रविष्टि वेतन 57,700, लेवल–10 (लोक सेवा आयोग द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता स्नातक अथवा परास्नातक के अनुसार) में अस्थायी रूप से शासनादेश संख्या–04 / 2021 / 1 / 2011–का–4–2021, दिनांक 29.04.2021 में निहित व्यवस्थानुसार औपबंधिक रूप से **राजकीय पालीटेक्निक, बिन्दकी, फतेहपुर** में नियुक्त / तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं –

(1) उक्त सेवा उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (अध्यापन) सेवा नियमावली 2021 में उल्लिखित प्राविधानों से शासित होगी तथा ऐसी अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

(2) संबंधित कार्मिक, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू है की सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत व्याख्याता पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा व्याख्याता पद की पारस्परिक ज्येष्ठता सुसंगत नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप बाद में निर्धारित की जायेगी।

(3) संबंधित कार्मिक का चरित्र सत्यापन एवं पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जा रहा है। यदि उक्त सत्यापन में संबंधित कार्मिक के विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उनकी नियुक्ति विधि शून्य मानी जायेगी तथा नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जायेगी।

(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर संबंधित कार्मिक के अनिवार्य योग्यताओं से संबंधित मूल प्रमाण पत्रों की सत्यता की जाँच संबंधित संस्थान / विश्वविद्यालय से करा लेंगे और यदि संबंधित कार्मिक के मूल अभिलेख त्रुटिपूर्ण / फर्जी पाये जाते हैं, तो उक्त कार्मिक के विरूद्ध संगत धाराओं में विधिक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को 06 माह के अन्दर अवगत करायेंगे। तदोपरान्त उक्त कार्मिक के नियुक्ति निरस्त करने संबंधी अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

(5) संबंधित कार्मिक को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे। संबंधित कार्मिक को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपना कार्यभार इस आदेश के प्राप्त होने के दिनांक से एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर ले अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित कार्मिक को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(6) यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या–475(डी)आफ 2019 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सुभाष चन्द शर्मा
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।

2– निजी सचिव, मा० मंत्री, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र०।

3– निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० कानपुर।

4– संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5– सम्बंधित प्रधानाचार्य को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रा कराना सुनिश्चित करें तथा कार्यभार ग्रहण करने की सूचना और निर्धारित समय के अ कार्यभार ग्रहण न करने की सूचना शासन व निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० कानपुर तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० प्रयागराज को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ

7– सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र० प्रयागराज को उनके पत्र सं०–41/01/डी.आर/एस–/2021–22टी०सी०–04 दिनांक 01.06.2022 पत्र सं०–41(1)/01/डी.आर/एस–12/2021–टी०सी०–04 दिनांक 02.08.2022 एवं पत्र सं०–41(2)/01/डी.आर/एस–12/2021–टी०सी०–04 दिनांक 19.09.2022 के सन्दर्भ में।

8– सम्बन्धित क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र०।

9– **श्री अजय कुमार कनौजिया पुत्र श्री मल्लू राम कनौजिया, निवासी–कटियारी, चकिया, रगई प्रयागराज, उ०प्र०–221505**

10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभाकर चन्द्र मिश्र)
संयुक्त सचिव।